न्यायालयः— न्यायिक मजिस्ट्रेट, भुसावर जिला—भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— शशि कांत गुप्ता, आर.जे.एस.।

नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या :— 239 / 2023

सी.आई.एस. नंबर :— 239 / 2023

एफ.आई.आर. नंबर :— 126 / 2023 पुलिस थाना भुसावर

राजस्थान राज्य

बनाम

1— रामनिवास पुत्र नत्थी सिंह,
2— वीरमसिंह पुत्र नत्थी सिंह,
3— श्रीमति मीरा पत्नी रामनिवास,
4— मछला पत्नी वीरमसिंह,
5— मन्नो पत्नी ओमप्रकाश,
6— गोला पत्नी जीवनसिंह,
निवासीयान तरगंबा पुलिस थाना भुसावर जिला भरतपुर।

———अभियुक्तगण

अपराध धारा 147, 148, 323 / 149, 341 / 149, 325 / 149, 451 / 149, 504 / 149, 506 / 149 आईपीसी

उपस्थितः—

1— विद्वान अभियोजन अधिकारी, राजस्थान राज्य की ओर से ।
2— श्री शान्ति स्वरूप शर्मा, विद्वान् अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से।
3 श्री प्रकाश चंद शर्मा विद्वान् अधिवक्ता, परिवादिया की ओर से ।

अपराध की तिथि	15.03.2023	साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	18.11.2025
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	16.03.2023	निर्णय सुरक्षित रखने की तिथि	09.03.2026
चालान की तिथि	12.07.2023	निर्णय की तिथि	09.03.2026
आरोप विरचित करने की तिथि	16.07.2025	सजा की तिथि, अगर हो तो	————

—निर्णय— दिनांक : 09—03—2026

1— संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 16.03.2023 को

परिवादिया श्रीमति गजना ने एक तहरीरी रिपोर्ट थाना भुसावर पर उपस्थित होकर इस आशय की पेश की कि दिनांक 15.03.2023 को समय शाम 3 बजे की बात है वह व उसकी सास कौशल्या घर पर अपना घरेलू कार्य कर रही थी तो एक योजनाबद्ध तरीके से हाथों में लाठी डंडा, फरसा व अवैध हथियार लेकर रामनिवास, वीरम, जीवन, राहुल, पूरन, लवकुश, मीरा, मन्नो, मछला, गोलो, रामकली, प्रेमवती, मीना, पूनिया, पूनम, लच्छो, कृष्णा, मोनिका, उसके घर के अंदर अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर मां बहिन की गंदी गंदी गालियां देने लगे। रामनिवास ने उसे भीतर हॉल में से उसके दोनो हाथ पकडकर खींच लिया और उसे जमीन पर पटक दिया तथा वीरम ने उसके दोनो हाथों को मरोड दिया तथा जबरन उसकी छाती पर पैर रख दिया तथा जान से मारने की नीयत से रामनिवास ने दोनो हाथों से उसका गला दबा दिया तथा उसकी सास कौशल्या से मीरा लिपट गयी तथा मीरा ने उसकी सास की छाती पर पत्थर मारा तथा वीरम ने उसकी साडी को फाड दिया तथा उसे उघारी कर दिया तथा उसे बेअदब कर दिया तथा सभी ने उनकी लात घूसों से व डंडो से व ठुसीकों से बडी बेरहमी से मारपीट की हल्लाहेल व चीख को सुनकर उसका पति भूरा व जेठ अतरसिंह व पडौसी रतनलाल, महेन्द्र, रेवती, रामरतन उन्हें बचाने आये तो उक्त लोगों ने इन पर भी आक्रमण कर दिया तथा रामनिवास ने उसके जेठ अतरसिंह के पैरों पर लाठी मारी जिससे जैमने पैर का घोटूं फट गया तथा वीरम ने जेठ को नीचे जमीन पर पटक कर लाठियों व लातों से मारपीट की जिससे शरीर पर काफी अन्दरूनी चोट आ गयी तथा जीवन ने रेवती के हाथों में डंडा मारा जिससे रेवती का हाथ टूट गया तथा सभी ने उन्हें व उनके पडौसियों की बडी बेरहमी से मारपीट की जिससे उनके शरीरों पर काफी चोटें आ गयी है तथा घर में घरेलू सामान की लाठी पत्थरों से तोडफोड कर दी जिससे काफी नुकसान हो गया तथा धमकी दी कि साले या तो घर से निकल जाओ नहीं तो उनके हाथ पैर काट कर जान से खत्म कर देंगे तथा उसकी इज्जत को लूटकर उन्हें गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं छोडेंगे। उक्त लोग जबरन लटठ व ताकत के बल पर उसके रिहायशी घर को हडपना चाहते है तथा उक्त लोग जब भी वे रास्ते में आते जाते हैं तो उन्हें रास्ते में रोककर जान से मारने की धमकी देते हैं, इत्यादि।

2— उक्त आशय की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना भुसावर द्वारा मुकदमा नंबर 126/2023 धारा 143, 323, 341, 354, 451, 504, 506 आईपीसी में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया एवं बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्तगण रामनिवास वीरमसिंह, श्रीमति मीरा, श्रीमति मछला, श्रीमति मन्नो व गोला के विरूद्ध धारा 147, 148, 149, 323, 341, 325, 451, 504, 506 आईपीसी में आरोप–पत्र न्यायालय में पेश

किया गया जिस पर उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3— पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को धारा 147, 148, 323/149, 341/149, 325,/149, 451/149, 504/149, 506/149 भा.दं.सं. का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने अपराध अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4— दौराने विचारण पक्षकारान के मध्य दिनांक 18.11.2025 को धारा 323/149, 341/149, 325/149, 451/149, 504/149, 506/149 भा.दं.सं. के अंतर्गत राजीनामा पेश किया गया जिसे बाद गौर तस्दीक किया जाकर अभियुक्तगण को धारा 323/149, 341/149, 325/149, 451/149, 504/149, 506/149 भा.दं.सं. के अपराध के आरोप से बरूये राजीनामा दोषमुक्त किया गया। अब अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 147, 148, सपठित धारा 149 भा.दं.सं. का विचारण करना शेष है।

5— अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू.—1 श्रीमति गजना, पी.डब्ल्यू.—2 अतरसिंह, पी.डब्ल्यू.—3 कल्लू को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी—1, चाक एफआईआर प्रदर्श पी—2, नक्शा मौका प्रदर्श पी—3, चोट प्रतिवेदन प्रपत्र मजरूबा गजना देवी प्रदर्श पी—04, पुलिस बयान धारा 161 सीआरपीसी गवाह गजना प्रदर्श पी—5, चोट प्रतिवेदन प्रपत्र मजरूब अतरसिंह प्रदर्श पी—06, एक्सरे रिपोर्ट मजरूब अतरसिंह प्रदर्श पी—07, पुलिस बयान धारा 161 सीआरपीसी गवाह अतरसिंह प्रदर्श पी—8, चोट प्रतिवेदन प्रपत्र मजरूब कल्लू प्रदर्श पी—9, एक्सरे रिपोर्ट मजरूब कल्लू प्रदर्श पी—10, पुलिस बयान धारा 161 सीआरपीसी गवाह कल्लू प्रदर्श पी—11 को प्रदर्शित करवाया गया।

6— अभियुक्तगण को धारा 313 सीआर.पी.सी. के तहत परीक्षित किया गया तो अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत होना बताया व झूंठा फंसाये जाने का कथन करते हुए जाहिर किया कि उनका आपस में राजीनामा हो गया है और साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा।

7— बहस अन्तिम सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्घ आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है। गवाहान के बयानों में कोई विरोधाभास नहीं है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्घ घोषित किया जावे।

8— इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि अभियुक्तगण के द्वारा मजरूबान के साथ विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर

अनाधिकृत रूप से बल व हिंसा का प्रयोग करते हुए बलवा कारित करना युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित प्रकरण के मजरूबान प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुए है। पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित किसी भी गवाह की साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं होता है। अभियोजन कहानी युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त घोषित किया जावे।

9— पत्रावली का विवेकशील परिशीलन किया गया। प्रकरण के निर्णयार्थ अवधारण के बिन्दू यह है किः—

क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 15.03.2023 को समय करीब शाम 03.00 बजे या उसके लगभग मौजा गांव तरगंवा में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों द्वारा सबके सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कुंद व घातक हथियारों से सुसज्जित होकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर उसके सदस्य रहते हुए बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया?

यदि हॉ, तो अभियुक्तगण को दण्ड की किस मात्रा से दण्डित किया जावे?

10— साक्ष्य के सूक्ष्म विवेचन व विश्लेषण सहित उक्त अवधारणीय बिन्दुओं पर न्यायालय का सकारण विनिश्चय निम्न प्रकार हैः—

—विचारणीय बिन्दू संख्या—01

11— हस्तगत प्रकरण का उद्भव परिवादिया गजना द्वारा दर्ज करायी गयी तहरीरी रिपोर्ट पर हुआ है। उक्त तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श—1 के आधार पर प्रकरण में एफआईआर संख्या 126/23 दर्ज हुई है। इसके संबंध में पत्रावली पर जो साक्ष्य आयी है उसका अवलोकन करें तो अभियोजन की ओर से कुल 3 गवाहान को परीक्षित करवाया गया है जिसमें प्रथमतः गवाह पीडब्ल्यू—1 श्रीमति गजना जो कि प्रकरण की परिवादिया है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि झगडा 6—7 महीने पहले हुआ। वह अपने घर पर थी। झगडा उसके साथ हुआ था। झगडा रामनिवास व वीरमसिंह, मीरा के साथ हुआ था। उन्होंने उनके साथ लाठी, डंडो से मारपीट की थी जिससे उनके चोटें आई थी। अब उनका राजीनामा हो गया है। इनके अलावा मारपीट करने वालों में और कोई नहीं था। अभियोजन की ओर से उक्त गवाह को पक्षद्रोही घोषित करवाया गया है जिससे अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह करने पर उक्त गवाह ने अपनी जिरह में कथन किया है कि घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी—1 है जिसकी चाक एफआईआर प्रदर्श पी—2 है, नक्शा मौका प्रदर्श पी—3 व स्वयं की मैडीकल रिपोर्ट

प्रदर्श पी–4 है जिन पर उसके हस्ताक्षर है। उसने पुलिस बयान प्रदर्श पी–5 का ए से बी भाग पुलिस को नहीं दिया। यह कहना सही है कि उनका राजीनामा हो गया है।

12– इसी क्रम में अभियोजन की ओर से घटना के अन्य मजरूब अतरसिंह को पीडब्ल्यू–2 के रूप में पेश कर परीक्षित करवाया है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 15.03.2023 को गजना के साथ में रामनिवास, विरमसिंह व मीरा ने झगडा किया था जिसमें उसके भी चोट आई थी। अब उनका राजीनामा हो गया है और वे आगे कोई कार्यवाही करना नहीं चाहते हैं। अभियोजन की ओर से उक्त गवाह को पक्षद्रोही घोषित करवाया गया है जिससे अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह करने पर उक्त गवाह ने अपनी जिरह में कथन किया है कि रिपोर्ट प्रदर्श पी–1, चाक एफआईआर प्रदर्श पी–2 व नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 है व स्वयं की मैडीकल रिपोर्ट प्रदर्श पी–6 व एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी–7 है जिन पर उसके हस्ताक्षर है। उसने पुलिस बयान प्रदर्श पी–8 का ए से बी भाग पुलिस को नहीं दिया।

13– इसी क्रम में अभियोजन की ओर से घटना के अन्य मजरूब गवाह कल्लू को पीडब्ल्यू–3 के रूप में पेश कर परीक्षित करवाया है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 15.03.2023 को उनके साथ में रामनिवास, वीरमसिंह व मीरा ने झगडा किया जिसमें उसके चोटें आई थी। अब उनका राजीनामा हो गया है। अभियोजन की ओर से उक्त गवाह को पक्षद्रोही घोषित करवाया गया है जिससे अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह करने पर उक्त गवाह ने अपनी जिरह में कथन किया है कि नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 है, उसकी एमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श पी–9 है व एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी–10 है जिन पर उसकी अंगूठा निशानी है। उसने पुलिस बयान प्रदर्श पी–11 का ए से बी भाग पुलिस को नहीं दिया।

15– इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का समग्र रूप से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध की हद तक विवेचन किये जाये तो न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 15.03.2023 को समय करीब शाम 03.00 बजे या उसके लगभग मौजा गांव तरगंवा में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों द्वारा सबके सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कुंद व घातक हथियारों से सुसज्जित होकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर उसके सदस्य रहते हुए बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया? इस संबंध में प्रकरण की शुरूआत परिवादिया श्रीमति गजना द्वारा दर्ज कराई गई तहरीरी रिपोर्ट से हुई है जिसके आधार पर प्रकरण में एफआईआर दर्ज की गयी है और अभियोजन की ओर से परिवादिया गजना को गवाह पी.डब्ल्यू.1 के तौर पर परीक्षित करवाया गया जिसने अपने मुख्य परीक्षण में

तथाकथित घटना दिनांक को रामनिवास, वीरमसिंह व मीरा का उनके साथ झगडा होने जिसमें उनके द्वारा लाठी डंडो से मारपीट करना जिससे उनके चोटें आने का कथन किया है लेकिन उक्त गवाह ने आगे कथन किया है कि इनके अलावा मारपीट करने में और कोई नहीं था। अब उनका राजीनामा हो गया है। इस प्रकार इस गवाह ने स्वयं द्वारा दर्ज तहरीरी रिपोर्ट से भिन्न अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये है। इस प्रकार इस गवाह ने स्वयं द्वारा दर्ज कराई तहरीरी रिपोर्ट की पूर्ण रूप से ताईद नहीं की है। उक्त गवाह ने पूर्णतः पक्षद्रोही रहते हुए अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह करने पर जिरह में स्पष्ट रूप से राजीनामा हो जाने के तथ्य को स्वीकार किया है। उक्त गवाह ने अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी–5 का ए से बी भाग जिसमें मुलजिमान द्वारा तथाकथित घटना कारित करने का तथ्य अंकित है, पुलिस को दिये जाने से इंकार किया है। इस प्रकार उक्त गवाह ने अपनी सम्पूर्ण साक्ष्य में कहीं भी मुलजिमान द्वारा पांच या पांच से अधिक व्यक्तिों द्वारा विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर बल व हिंसा का प्रयोग करने के तथ्य अंकित नहीं किये हैं।

16– इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से परीक्षित हस्तगत प्रकरण के मजरूबान व चश्मदीद गवाहान पीडब्ल्यू–2 अतरसिंह व पीडब्ल्यू–3 कल्लू ने भी पूर्णतः पक्षद्रोही रहते हुए अपने मुख्य परीक्षण में तथाकथित घटना दिनांक 15.03.2023 को उनके साथ रामनिवास, वीरमसिंह व मीरा द्वारा झगडा करने जिससे उनके चोटें आने का कथन किया है। उक्त गवाहान ने अपने मुख्य परीक्षण में ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि झगडा में इनके अलावा और कोई भी था। अब उनका राजीनामा हो गया है तथा वे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। इस प्रकार इस उक्त सभी गवाहान ने परिवादिया द्वारा दर्ज तहरीरी रिपोर्ट से भिन्न अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये है और तहरीरी रिपोर्ट की ताईद नहीं की है। उक्त सभी गवाहान ने पूर्णतः पक्षद्रोही रहते हुए अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह करने पर जिरह में अपने पुलिस बयान क्रमशः प्रदर्श पी–8 व प्रदर्श पी–11 का ए से बी भाग जिसमें मुलजिमान द्वारा उनके साथ तथाकथित घटना कारित करने का तथ्य अंकित है, पुलिस को दिये जाने से इंकार किया है। चूंकि मजरूबान व मुलजिमान के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर अभियुक्तगण को मुख्य धारा 323, 341, 325, 504, 506 व 451 सपठित धारा 149 आईपीसी में जरिए राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है। इस प्रकार उक्त सभी गवाहान ने अपनी संपूर्ण साक्ष्य में कहीं भी अभियुक्तगण का पांच से पांच से अधिक व्यक्ति होते हुए आपराधिक बल व हिंसा का प्रयोग करने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। ऐसे में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित नहीं होता है। इस प्रकार अभियोजन

की ओर से परीक्षित कराये गये गवाहान पीडब्ल्यू–1 श्रीमति गजना, पीडब्ल्यू–2 अतरसिंह व पीडब्ल्यू–3 कल्लू ने अभियोजन कहानी का समर्थन किसी भी रूप में नहीं किया हैं और परिवादिया द्वारा दर्ज कराई गई तहरीरी रिपोर्ट की उक्त सभीं गवाहों ने ताईद नहीं की है तथा पक्षकारान के मध्य राजीनामा होना भी स्वीकृत तथ्य रहा है।

17– इस प्रकार प्रकरण में आई साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन पक्ष युक्ति–युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 15.03.2023 को समय करीब शाम 03.00 बजे या उसके लगभग मौजा गांव तरगंवा में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों द्वारा सबके सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कुंद व घातक हथियारों से सुसज्जित होकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर उसके सदस्य रहते हुए बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया फलस्वरूप अभियुक्तगण रामनिवास, वीरमसिंह, श्रीमति मीरा, मछला, श्रीमति मन्नो, श्रीमति गोला आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 147, 148, 324/149, 452/149 भा.दं.सं. से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

–::<u>आदेश</u>::–

18– अतः अभियुक्तगण 1–रामनिवास पुत्र नत्थी सिंह, 2–वीरमसिंह पुत्र नत्थी सिंह, 3–श्रीमति मीरा पत्नी रामनिवास, 4– मछला पत्नी वीरमसिंह, 5–मन्नो पत्नी ओमप्रकाश, 6–गोला पत्नी जीवनसिंह, निवासीयान तरगंबा पुलिस थाना भुसावर जिला भरतपुर को अपराध अन्तर्गत धारा 147, 148, सपठित धारा 149 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण की हाजरी बाबत अन्वीक्षाकालीन जमानत मुचलके निरस्त किए जाते है।

उक्त अभियुक्तगण को पूर्व में धारा 323/149, 341/149, 325/149, 451/149, 504/149, 506/149 भा.दं.सं. के अपराध के आरोप से बरूये राजीनामा दोषमुक्त किया जा चुका है।

(शशि कांत गुप्ता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भुसावर जिला भरतपुर (राज०)

19– निर्णय आज दिनांक **09.03.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शशि कांत गुप्ता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भुसावर जिला भरतपुर (राज०)

गवाहान् की सूचीः– **<u>परिशिष्टः–</u>**

(क) अभियोजन		
क्रमांक	**नाम**	**प्रकृति**
पी डब्ल्यू–1	गजना	मुस्तगीस
पी डब्ल्यू–2	अतरसिंह	नक्शा मौका, बयान धारा 161 सीआरपीसी
पी डब्ल्यू–3	कल्लू	नक्शा मौका, बयान धारा 161 सीआरपीसी
(ख) प्रतिरक्षा		
क्रमांक	**नाम**	**प्रकृति**
––	–––	–––––
(ग) न्यायालय		
क्रमांक	**नाम**	**प्रकृति**
–––	–––––	–––––

प्रदर्श की सूचीः– **(क) अभियोजन**

क्रमांक	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
01	प्रदर्श पी–1	तहरीरी रिपोर्ट
02	प्रदर्श पी–2	चाक एफआईआर
03	प्रदर्श पी–3	नक्शा मौका
04	प्रदर्श पी–4	चोट प्रतिवेदन प्रपत्र मजरूबा गजना
05	प्रदर्श पी–5	पुलिस बयान गवाह श्रीमति गजना
06	प्रदर्श पी–6	चोट प्रतिवेदन प्रपत्र मजरूब अतरसिंह
07	प्रदर्श पी–7	एक्सरे रिपोर्ट मजरूब अतरसिंह
08	प्रदर्श पी–8	पुलिस बयान गवाह अतरसिंह
09	प्रदर्श पी–9	चोट प्रतिवेदन प्रपत्र मजरूब कल्लू
10	प्रदर्श पी–10	एक्सरे रिपोर्ट मजरूब कल्लू
11	प्रदर्श पी–11	पुलिस बयान गवाह कल्लू
(ख) प्रतिरक्षा		
क्रमांक	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
(ग) न्यायालय		
क्रमांक	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
(घ) आवश्यक वस्तु		
कमांक	**आवश्यक वस्तु संख्या**	**विवरण**
–––	–––	–––––

(शशि कान्त गुप्ता)